



राजस्थान सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

☎: 0141-2704357 📠: 0141-2704358 email : dir-sans-rj@nic.in



क्रमांक:-निसंशि/संस्था-2क/प्र0अ0/डीपीसी /2020/14561-67

दिनांक : 31/5/2022

--: आदेश :-

राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 के नियम 30 (r) के अन्तर्गत गठित पदोन्नति समिति द्वारा निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्त वर्ष प्रधानाध्यापक (प्रवेशिका) के पद पर चयनोपरान्त पे मेट्रिक्स में लेवल L-14 में पदोन्नत कर उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में पदस्थापित किया जाता है।


क्र.स.	पी.एफ	नाम वरिष्ठ अध्यापक एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान	रिक्त वर्ष (परिलाभ हेतु रिक्त दिनांक)	पदोन्नति पद पदस्थापन स्थान
1.	2036	श्री अशोक कुमार गुप्ता, व0अ0 (गणित), राज0वरि0उपा0सं0विद्या0 चीथवाड़ी पं0स0 गोविन्दगढ जिला जयपुर	20-21 (31.08.20)	राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, गोविन्दगढ, जयपुर
2.	2295	श्री वीरपाल सिंह, व0अ0 (गणित), राज0वरि0उपा0सं0विद्या0 कनकपुरा पं0स0 झोटवाड़ा जिला जयपुर	20-21 (30.09.20)	राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, चाकसू, जयपुर
3.	3182	श्री श्यामलाल, व0अ0 (गणित), राज0वरि0उपा0सं0विद्या0 चिराणा पं0स0 नवलगढ जिला झुंझुनू	20-21 (30.11.20)	राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, चिडावा, झुंझुनू
4.	3304	श्री भानुकुमार शर्मा, व0अ0 (गणित), राज0वरि0उपा0सं0विद्या0 बूंदी शहरी क्षेत्र	20-21 (30.11.20)	राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, हरिपुरा उर्फ जावरा की झोपड़ियां, बूंदी
5.	3361	श्री प्रमोद कुमार जैन, व0अ0 (गणित), राज0वरि0उपा0सं0विद्या0 उदयपुर शहरी क्षेत्र	20-21 (31.12.20)	स्वैच्छिक सेवानिवृति 01.03.2021

नोट :-

1. पदोन्नत प्रधानाध्यापक को पदोन्नत पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहणकाल में ही उक्त आदेश की पालना में दिनांक 10.06.2022 तक कार्यारम्भ करना आवश्यक होगा अन्यथा उनके चयनित वेतनमान के लाभ को विलम्बित कर दिया जायेगा। साथ ही राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क-2/90 दिनांक 05.08.1998 के अनुसार दो रिक्त वर्ष तक पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जायेगा।
2. कार्मिक विभाग की अधिसूचना पं.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसार संबंधित कर्मचारी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र कार्यारम्भ से पूर्व संस्था प्रधान को प्रस्तुत करना होगा कि दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान नहीं है। दिनांक

01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने पर संबंधित कार्मिक को कार्यारम्भ नहीं कराया जावे एवं विभाग को मय प्रमाण के तत्काल सूचित करें।

3. पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने वाले वरिष्ठ अध्यापक को पदोन्नत वेतन श्रृंखला में काल्पनिक वेतन निर्धारण राज्य सरकार के आदेशांक पं. 1(13)शिक्षा-6 दिनांक 11.03.2005 एवं कार्मिक विभाग के आदेशांक एफ 5 (3)कार्मिक (क-2)/77 दिनांक 18.08.82 के अनुसार कार्मिक के नाम के सम्मुख रिक्ति वर्ष अंकित तिथि से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अन्हें वेतन निर्धारण का वास्तविक परिलाभ उक्त पदोन्नति पद पर कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष उपर्युक्त शिक्षकों का नियमानुसार वेतन निर्धारण कर सेवापुस्तिका में आवश्यक अंकन अपने स्तर पर करेंगे।
4. कार्यग्रहण काल नियम के तहत पदस्थापन परिवर्तन होने की स्थिति में नियमानुसार योगकाल व यात्रा भत्ता देय होगा।



(डॉ० दीरघराम रामस्नेही)
निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-निसंशि/संस्था-2क/प्र0अ0/डीपीसी /2020/14561-67
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक : 31/5/2022

1. विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर।
5. संबंधित संकुल प्रभारी/संस्था प्रधान को भेजकर लेख है कि संबंधित शिक्षक की कार्यमुक्ति/कार्यारम्भ की सूचना अनिवार्य रूप से निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। पदोन्नति परित्याग करने की स्थिति में संबंधित से परित्याग (ध्वतहव) करने का लिखित प्रार्थना पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. संबंधित कार्मिक।
7. संस्थापन अनुभाग-3(कखग)/ गोपनीय अनुभाग निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।


(डॉ० भास्कर शर्मा)

संयुक्त निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर